

न्यायालय तहसीलदार कठुंभर (अलवर) राज.

हल्का GURACT

पञ्चम संवत्सर १९७६

तहसीलदार कठुंभर अलवर राज.

उत्तर सं. 4/2021/RA

निर्णय दिनांक - 30/11/21

प्रकरण संख्या 1429 कुल रकमा 0.20 किरम जमीन में से 0.02 ₹ 80 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कला कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का टिपूरी द्वारा दिनांक 18/10/21 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट नय ताईव भू.अ.निरी. के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जाकर अतिक्रमी मामराज जाट जाति निवासी सिताई को भू.अ.निरी. अधिनियम 1966 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील प्रत भई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रायली किया गया। अतिक्रमी उपस्थित आया। जथाव नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रायली है। तयत रकम आ.ख.म. 1429 रकमा 0.20 में से 0.02 ₹ 80 के तहत निवृत्त है जो नहीं है सिहाजा डोरसायम को अतिक्रमित रूप से बदखल किया जाने के आदेश दिये जाने हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 15000 का 50 गुणा 81 रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है माता कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी टिपूरी भू.अ.निरी. को लिखा जाकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

क्याधरवाडा कोषा लगा

टिपूरी

मामराज जाट जाति निवासी सिताई

तहसीलदार कठुंभर अलवर राज.

तहसीलदार कठुंभर, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :- प. ६

११.११.२१ 117 4 2021-22 81

17/12/21